रजिस्टर्ड नं0 पी0/एस0 एम0 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला शनिवार, 23 फरवरी, 1980/4 फाल्गुन, 1901

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग (सतर्कता)

अधिसूचना

शिमला-171002, 23 फरवरी, 1980

संख्या: पर (विज)ए-7(261)/77.—यतः राज्य सरकार का अभिमत है कि उस जांच आयोग को जो कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) दिनांक 19-12-77 में प्रकाशित इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9-12-77 के द्वारा श्री जितेन्द्र लाल, सेवा निवृत्त न्यायमूर्ति, पंजाब उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में, तथा उनके मरणोपरान्त राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) दिनांक 13-6-79 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना संख्या पर (विज) ए-4(3)/78 दिनांक 13-6-1979 के द्वारा श्री बी0 सी0 मिश्रा, सेवा निवृत्त न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय, देहली की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था, अब जारी रखना अनावश्यक है ।

अतः अब जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 7 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा उद्घोषित करते हैं कि उक्त जांच आयोग 23-2-1980 से अस्तित्वहीन हो जायेगा ।

आज्ञानुसार,
के0 सी0 पाण्डेय,
मुख्य सचिव ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

Simla-171002, *the 23rd February*, 1980

No. Per(Vig)A-7(261)/77.—WHEREAS, the State Government is of the opinion that the continued existence of the Commission of Inquiry appointed under section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (No. 60 of 1952), *vide* this department notification No. Per(Vig)A-7(261)/77, dated the 9th December, 1977, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) dated 19th December, 1977, consisting of Shri Jindra Lal, retired Judge of the Punjab High Court and, after the demise of said Shri Jindra Lal, of Shri B. C. Misra, retired Judge of Delhi High Court, appointed *vide* notification No. Per (Vig)A-4(3)/78, dated the 13th June, 1979, published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) dated 13-6-1979, is unnecessary.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (No. 60 of 1952), the Governor of Himachal Pradesh, hereby declares that the said Commission of Inquiry shall cease to exist with effect from 23rd day of February, 1980.

By order,
K. C. PANDEYA,
Chief Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-3 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।